

कार्यालय ज्ञाप

कारखाना अधिनियम- 1948 तथा उसके अन्तर्गत बनी कारखाना नियमावली-1950 के नियम-3(3) के प्राविधानुसार किसी भी ड्राफ्टमैन/आर्किटेक्ट द्वारा बनाये गये रेखांकन अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।



(दीप्ति सिंह)

मुख्य कारखाना निरीक्षक, उत्तराखण्ड
श्रम भवन हल्द्वानी

कार्यालय-मुख्य कारखाना निरीक्षक, उत्तराखण्ड श्रम भवन हल्द्वानी।

पत्रांक 146-150 एफ/सम0/जन0


दिनांक- 11, 03/ 2020

प्रतिलिपि-1-सचिव श्रम, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सादर अवलोकनार्थ हेतु प्रेषित।

2- अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन ऑफ उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

3- उप निदेशक कारखाना/ब्या0, उत्तराखण्ड हल्द्वानी।

4- सहायक निदेशक कारखाना/ब्या0 उत्तराखण्ड देहरादून।



(दीप्ति सिंह)

मुख्य कारखाना निरीक्षक, उत्तराखण्ड
श्रम भवन हल्द्वानी